उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई

नं० 404, 4 एवं नं० 505, 5 तल, रतन स्कवायर, 20-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश, भारत

फोन : 0522-4922351 । फैक्स : 0522-4931778 । ई-मेल : ihat.lucknow@ihat.in
www.ihat.in

प्रेषक,

अधिशासी निदेशक,
उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई,
लखनऊ

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या : यूपीटीएसयू/लखनऊ/2019–20/3054, दिनांकः 01 सितम्बर, 2019

विषयः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक उप–सवंर्ग सृजित करते हुए नवीन ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली'' के गठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–यूपीटीएसयू/लखनऊ/2019–20/3029, दिनांक 16 अगस्त, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा, प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्याधिक कमी के दृष्टिगत, विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक उप–संवर्ग सृजित करने हेतु नवीन नियमावली गठित करने के शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के कियान्वयनस्वरूप यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा, उच्चादेशों के अनुपालन में, ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली–2019'' का आलेख्य परीक्षणार्थ प्रेषित किया गया था।

2– तद्सन्दर्भ में, परामर्शी विभागों यथा–वित्त एवं कार्मिक विभागों की पृच्छाओं का समाधान करके तद्नुसार तथ्यात्मक बिन्दुओं का समावेश करते हुए, यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा, उच्चादेशों के अनुपालन में, तैयार किया गया नवीन नियमावली का संशोधित आलेख्य का प्रस्तुतीकरण दिनांक 27.8.2019 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन एवं दिनांक 3.9.2019 को मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में प्रस्तुत किया गया।

3– उक्त बैठकों में प्राप्त निर्देशों के सन्दर्भ में ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली–2019'' का संशोशित अद्यतन आलेख्य इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त बैठक में पारित निर्देशानुसार इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानदेशालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की सुसंगत विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त अपलोड करके समस्त संबंधितों एवं हितधारकों से उनके सुझाव/अभ्युक्ति/मन्तव्य इत्यादि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय की आई0डी0– monitoringcell.dgmh@gmail.com एवं आई0डी0– specialistcadre.up@gmail.com पर अपलोडिंग से 15 दिवसों के अन्दर

प्रेषित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त नियमावली के विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने की सूचना संबंधित 'चिकित्सा संघों' सहित संभी संबंधितों को औपचारिक रूप से पत्र के माध्यम से भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

4— प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सेवाकालीन विद्यमान चिकित्सकों में विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा रही विशेषज्ञ सेवाओं की प्रतिपूर्ति हेतु तीन वर्षो के लिए 06 प्रतिशत की एकमुश्त धनराशि प्रदान किए जाने पर भी सहमति बनी थी।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि कृपया विषयक प्रकरण में उक्त सन्दर्भित उच्च–स्तरीय बैठकों में पारित आदेशों के सन्दर्भ में सक्षम स्तर से यथावश्यक अनुमोदन प्राप्त कर, उक्तानुसार/नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :

1. सेवा नियमावली का आलेख।

05/05/15

(डा0 वसन्तकुमार एन.)
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

संलग्नक—यथोपरि।

(डा0 वसन्तकुमार एन.)
अधिशासी निदेशक

उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई

नं० 404, 4 एवं नं० 505, 5 तल, रतन स्कवायर, 20-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश, भारत

फोन : 0522-4922351 । फैक्स : 0522-4931778 । ई-मेल : ihat.lucknow@ihat.in

www.ihat.in

प्रेषक,

अधिशासी निदेशक,
उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई,
लखनऊ

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या : यूपीटीएसयू/लखनऊ/2019–20/3054, दिनांकः 01 सितम्बर, 2019

विषयः चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक उप–सवंर्ग सृजित करते हुए नवीन "उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली" के गठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–यूपीटीएसयू/लखनऊ/2019–20/3029, दिनांक 16 अगस्त, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा, प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्याधिक कमी के दृष्टिगत, विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक उप–संवर्ग सृजित करने हेतु नवीन नियमावली गठित करने के शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के कियान्वयनस्वरूप यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा, उच्चादेशों के अनुपालन में, "उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली–2019" का आलेख्य परीक्षणार्थ प्रेषित किया गया था।

2– तद्सन्दर्भ में, परामर्शी विभागों यथा–वित्त एवं कार्मिक विभागों की पृच्छाओं का समाधान करके तद्नुसार तथ्यात्मक बिन्दुओं का समावेश करते हुए, यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा, उच्चादेशों के अनुपालन में, तैयार किया गया नवीन नियमावली का संशोधित आलेख्य का प्रस्तुतीकरण दिनांक 27.8.2019 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन एवं दिनांक 3.9.2019 को मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में प्रस्तुत किया गया।

3– उक्त बैठकों में प्राप्त निर्देशों के सन्दर्भ में "उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियमावली–2019" का संशोशित अद्यतन आलेख्य इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त बैठक में पारित निर्देशानुसार इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानदेशालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की सुसंगत विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त अपलोड करके समस्त संबंधितों एवं हितधारकों से उनके सुझाव/अभ्युक्ति/मन्तव्य इत्यादि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय की आई0डी0– monitoringcell.dgmh@gmail.com एवं आई0डी0– specialistcadre.up@gmail.com पर अपलोडिंग से 15 दिवसों के अन्दर

प्रेषित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। साथ ही उक्त नियमावली के विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने की सूचना संबंधित 'चिकित्सा संघों' सहित संभी संबंधितों को औपचारिक रूप से पत्र के माध्यम से भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

4— प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सेवाकालीन विद्यमान चिकित्सकों में विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा रही विशेषज्ञ सेवाओं की प्रतिपूर्ति हेतु तीन वर्षों के लिए 06 प्रतिशत की एकमुश्त धनराशि प्रदान किए जाने पर भी सहमति बनी थी।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि कृपया विषयक प्रकरण में उक्त सन्दर्भित उच्च–स्तरीय बैठकों में पारित आदेशों के सन्दर्भ में सक्षम स्तर से यथावश्यक अनुमोदन प्राप्त कर, उक्तानुसार/नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक :
1. सेवा नियमावली का आलेख।

(डा0 वसन्तकुमार एन.)
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

संलग्नक–यथोपरि।

(डा0 वसन्तकुमार एन.)
अधिशासी निदेशक